HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 4th Bail Application No. 14046/2026
CNR: RJHC020863712026 | URN: CRLMB / 25958U / 2026

Abhishek @ Arjun S/o Suresh Kumar, Aged About 23 Years, R/o Infront of Truck Union Bombey Yojna Thana Mahaveer Nagar Kota City. (At Present Confined At Central Jail Kota).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Kalam Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना अनन्तपुरा, कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 418/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 109(1), 331(8), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर तथा द्वितीय व तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक क्रमशः 20.01.2026 व 30.06.2026 द्वारा प्रत्याहरित किये जाने के आधार पर खारिज किये गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है। पी.डब्ल्यू.–1 दीपक व पी.डब्ल्यू.–2 पवन ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है, पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के पूछताछ नोट व सूचना के आधार पर उसे घटना कारित करने में अंतर्वलित कर लिया है। पी.डब्ल्यू.–3 सुश्री ऋतु विश्वकर्मा ने अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना नहीं बताया है। पी.डब्ल्यू.–9 भूपेन्द्र सिंह, जो प्रकरण का अन्वेषण अधिकारी है, उसके बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि उसने परिवादी की सूचना व निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका बनाया है। इस साक्षी ने भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को घटना में शामिल होना माना जा सके। मृतक के पेट पर चोट दांयी तरफ आई थी या बांयी तरफ आई थी, इस तथ्य को इस साक्षी ने अपने बयान में नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा से प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में शामिल होना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.12.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित होते हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी पवन द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के हाथ में चाकू होने व परिवादी के मकान में गेट खोलकर अंदर आकर उसके ससुर के पेट पर चाकू मारना बताया गया है। चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में चाकू से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू.–9 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना के आधार पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करना बताया है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–10 राकेश गुर्जर व पी.डब्ल्यू.–11 राजेन्द्र, जो फर्द बरामदगी से संबंधित साक्षी हैं, उन्होंने भी अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना के आधार पर उसके किराये के मकान में प्रवेश कर कमरे की टांड से एक खूनआलुदा चाकू बरामद होना बताया है। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू.–9 भूपेन्द्र सिंह ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी हुई खून लगी जैकेट, जो गिरफ्तारी के समय भी पहनी हुई थी, को जब्त किया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना के आधार पर उसके कब्ज से खून लगा चाकू जब्त किया है। अन्वेषण अधिकारी ने अपने बयान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–57 को प्रदर्शित करवाया है, जिसके अनुसार मृतक के पायजामे पर लगा खून तथा प्रार्थी/अभियुक्त के जैकेट व जब्तशुदा चाकू की डी.एन.ए. प्रोफाईल आपस में मैच हुए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का क्या साक्षिक मूल्य है, इस तथ्य का अवधारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जा सकता है। इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध कारित करने में कोई अंतर्वलितता नहीं हो। प्रार्थी/अभियुक्त पर हत्या कारित करने से संबंधित गंभीर किस्म का आरोप है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अभिषेक उर्फ अर्जुन पुत्र सुरेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे शेष साक्षीगण की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी आदेशिका लिखकर साक्षीगण के बयान शीघ्रता से लेखबद्ध कर प्रकरण के त्वरित निस्तारण का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/01